

दिनांक 22.3.24

उपखण्ड अधिकारी  
महवा जिला दौसा

दिनांक 22.3.24

आज पत्रावली पेश हुई। तकील

पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26.4.24 को पेश हो।

AM

सुप्रीम कोर्ट का फैसला है

26.4.24

  
रीडर

दिनांक 26.4.24

आज पत्रावली पेश हुई। तकील

पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर धधारे हैं।

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01.07.24 को पेश हो।

AM

26.4.24

  
रीडर

12.6.24

आज पत्रावली पेश हुई। तकील  
पक्ष उपस्थित। बालू कामगार लचकीयत  
दिनांक 01.07.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
महवा जिला दौसा

01.07.24

आज पत्रावली पेश हुई। तकील एवं उनके  
वकील को रुक-रुक कर कई बार कोर्ट लावाई गई  
किंतु आखिर-ही हुए। पत्रावली को ईन्तजा में रखा गया।  
आखिर-ही तकील के पूर्व पुनः कादी एवं उनके वकील  
को कोर्ट लावाई गया किंतु कई उपस्थित नहीं आये। ईन्तजा  
में ही प्रतीत होता है कि कादी अपने दाद के प्रति जमीर नहीं है।  
अतः कादी का कोर्ट कादी को अदम्य शरहीव अफसर  
के लो में खोजा जा रहा है। पत्रावली के तल मुकाम से निकलने के  
बाद ही